

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: २९ जुलाई, 2017

विषय:- प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के सतत विकास एवं उन्नयन हेतु उनके फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संस्थागत वित्त, कर निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या: 565बी/क0नि0-6/2017 दिनांक 30 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों में कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. कतिपय जनपदों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि बैंकों द्वारा जो खाताधारकों का डाटा एन0आई0सी0 के वेब-पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, उसमें से कुछ ऋण खाताधारकों की मृत्यु हो चुकी है अतः ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जाये?

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट किए जाने का निदेश हुआ है कि यदि बैंक द्वारा एन0आई0सी0 वेब-पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये डाटा में किसी ऐसे खाता धारक का नाम परिलक्षित हो रहा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो इस विषय में संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा बैंकिंग नियमों के अनुरूप अपने अभिलेखों में उक्त मृतक खातेदार के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज करते हुए उक्त खाते के सम्बन्ध में अद्यतन संशोधित की स्थिति से जिला स्तरीय समिति को अवगत कराया जायेगा साथ ही उक्त सूचना योजनान्तर्गत अपने बैंक के राज्य स्तरीय नामित स्टेट नोडल आफिसर को प्रेषित किया जाएगा। बैंक के स्टेट नोडल आफिसर का यह दायित्व होगा कि ऐसे समस्त प्रकरणों के विषयगत संकलित सूचना एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराये जिससे द्वितीय चरण में उपरोक्त संशोधित खाता धारकों के विवरण जनपदों को अग्रतर योजना के मानदण्डों के अनुरूप कार्यवाही हेतु वेब-पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा सके।

भवदीय,


(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2651 (1) / 12-2-2017 तददिनांक।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

5. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त से संबंधित सभी बैंकों को सूचित करने का कष्ट करें।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पवनाकुमार)
विशेष सचिव।